महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में संचालित सभी अस्पतालों के लाइसेंसों की होगी जांच

कोरबा (आरएनएस)। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने पहाड़ी कोरवा महिला की मौत पर सख्त रुख अपनाते हुए जिले के सभी अस्पतालों के लाइसेंसो के जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सभी अस्पतालों के अस्पताल संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस आदि की जांच की जाएगी। साथ ही बिना लाइसेंस और अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर श्रीमती साहू ने कहा कि जिले में संचालित सभी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए जरूरी संसाधनों और वैध लाइसेंसों की जांच की जाएगी। शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अस्पताल संचालन नहीं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

स्वप्निल झा, शुभम और उनके साथियों के खिलाफ भी एफ आईआर करवाने के दिए निर्देश

कोरबा (आरएनएस)। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने निजी अस्पताल में पहाड़ी कोरवा महिला की मौत पर कड़ा रुख अपनाते हुए मेडिकल कॉलेज और उससे संबद्ध जिला अस्पताल के अन्य डॉक्टरों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्रीमती साहू ने महिला की मौत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए डॉक्टरों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ पदस्थ हैं इसके बावजूद महिला के रिफर होने का मामला लापरवाही दर्शाता हैं। साथ ही पहाड़ी कोरवा महिला को निजी अस्पताल गीता देवी मेमोरियल में एडमिट कराने वाले स्वप्निल झाए शुभम और उनके अन्य साथियों के खिलाफ भी एफआईआर करवाने के सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं।

10 किलो गांजा के साथ गांजा तस्कर युवती गिरफ्तार

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के थाना नगरनार क्षेत्र अंर्तगत सीमाक्षेत्र धनपुंजी में जांच के दौरान ओडिसा से जगदलपुर बस में सवार होकर आ रही गांजा तस्कर युवती अनिशा शीषा निवासी सिमलीगुडा जिला कोरापुट उडीसा के कब्जे से पुलिस ने 10 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य 50 हजार रुपये आंकी गई है। आरोपियों अनिशा शीषा को गिरफ्तार थाना नगरनार में 20 (बी) एनडीपीएस. एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही उपरांत न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया। नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने बताया कि अवैध गांजा की तस्करी की सूचना पर थाना प्रभारी नगरनार बुधराम नाग के साथ में महिला पुलिस अधिकारियों सहित टीम गठित कर कार्यवाही के लिए भेजा गया, छत्तीसगढ़-उडीसा के सीमाक्षेत्र धनपुंजी में मोबाईल चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच किया जा रहा था, इसी दौरान एक बस को रोककर जांच में महिला को संदेह के आधार पर पकड़ा गया। जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम अनिशा शीषा निवासी सिमलीगुडा जिला कोरापुट उडीसा का होना बताया। जिसकी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा तलाशी लेने पर 10 किलोग्राम गांजा बरामद कर किया गया।

दो दिन बाद भी अपहित इंजीनियर का कोई सुराग नहीं मिला

बीजापुर (आरएनएस)। जिले के बेदरे थाना क्षेत्र अंर्तगत ग्राम पांडेवार से शुक्रवार को नक्सलियों ने एक इंजीनियर के साथ एक मजदूर का अपरहण कर लिया गया था। लेकिन दो दिन बीत जाने के बाद भी इंजीनियर और मजदूर का पुलिस भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। अपहरण के इस मामले पर रहस्य अभी भी बरकरार है, नक्सलियों की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अपहृत दोनों व्यक्तियों की पतासाजी के लिए पुलिस अपने स्तर पर तलाश में जुटी हुई है। इधर इंजीनियर की पत्नी सोनाली पवार ने अपने पति को सकुशल रिहा करने की अपील की है। उन्होने ने कहा है कि मेरे पति रोजी रोटी के लिए काम करने बस्तर आए हुए हैं। उनके काम करने वाली जगह से कुछ गांव वाले उन्हें कहीं लेकर चले गए हैं। सोनाली ने कहा कि मेरे दो छोटी छोटी बेटियां भी हैं।

निजी अस्पताल में पहाड़ी कोरवा महिला की मौत का मामला : कलेक्टर ने गठित की जांच समिति, 3 दिन के भीतर मामले की जांच कर सौंपेगी रिपोर्ट

कोरबा (आरएनएस)। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने निजी अस्पताल में पहाड़ी कोरवा महिला की मौत के मामले में जांच समिति गठित कर दी हैं। जांच समिति 3 दिन के भीतर महिला की मौत के कारणों की जांच कर कलेक्टर को जांच रिपोर्ट देगी। जांच समिति में कोरबा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी हरिशंकर पैंकरा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती माया वारियर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी बी बोडे शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि ग्राम सतेंरगा निवासी पहाड़ी कोरवा सुख सिंह द्वारा कलेक्टर के समक्ष अपने आवेदन में उनकी पत्नी श्रीमती सोनी बाई की मौत इलाज के दौरान लापरवाही बरतने के कारण कोरबा शहर स्थित निजी अस्पताल

गीता देवी मेमोरियल अस्पताल में होना बताया गया। कलेक्टर श्रीमती साहू ने सुख सिंह के आवेदन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की पुरी जांच के लिए जांच समिति गठित कर दी हैं।

श्री सुख सिंह ने अपने आवेदन में बताया है कि हाथ मे मामूली फ्रैक्चर के कारण उनकी पत्नी श्रीमती सोनी बाई का इलाज कराने 9 फरवरी 2022 को जिला अस्पताल कोरबा में लाया गया। जिला अस्पताल कैम्पस में ही शुभम और स्वप्निल झा नाम के व्यक्ति द्वारा जिला अस्पताल में इलाज न कराने की सलाह देते हुए गीता देवी मेमोरियल अस्पताल में इलाज कराने की बात करते हुए 9 फरवरी 2022 को ही दोपहर 2 बजे एच आर स्वप्निल झा और उनके साथियों द्वारा सोना बाई को गीता देवी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सुख सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी के केवल हाथ में फ्रेक्चर था बाकी उनका स्वास्थ्य ठीक था। उन्होंने बताया कि गीता देवी अस्पताल में भर्ती करने के बाद ऑपरेशन के नाम पर उनकी पत्नी को 3 दिन तक भूखा रखते हुए कई प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया गया। सुख सिंह ने बताया कि अस्पताल में हड्डी के इलाज करने वाले डॉ मौजूद नही थे जिसके कारण इलाज में देरी हुई। उनकी पत्नी की मौत हो जाने की सूचना 12 फरवरी 2022 को रात 1.5 बजे परिवारजनों को अस्पताल प्रबंधन द्वारा दी गयी। सुख सिंह ने बताया कि गीता देवी अस्पताल में दी गयी दवाइयों और कई लापरवाहियों की वजह से उनकी पत्नी की मौत हुई है। उन्होंने मामले की जांच की मांग कलेक्टर के समक्ष की हैं।

गीता देवी मेमोरियल अस्पताल का लाइसेंस नहीं पाए जाने पर की गई कार्रवाई

कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में पहाड़ी कोरवा महिला की मौत के मामले में जांच समिति गठित की हैं। समिति द्वारा जांच में अस्पताल संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं पाए जाने पर गीता देवी मेमोरियल अस्पताल को प्रारंभिक तौर पर बंद कर दिया गया हैं। जांच समिति में शामिल डॉ बीबी बोडे ने बताया कि जांच प्रक्रिया पूर्ण होने तक अस्पताल को बंद रखा जाएगा। उन्होंने बताया की मामले की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी । साथ ही पहाड़ी कोरवा महिला की मौत की हर पहलुओं पर जांच की जाएगी। जांच प्रक्रिया पूर्ण होने तक अस्पताल को बंद कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर बोड़े ने बताया की अस्पताल में भर्ती मरीजों को तत्काल जिला अस्पताल में शिफ्ट करने की करवाई की जा रही है।

पहाड़ी कोरवा महिला के मौत के मामले में पुलिस ने दर्ज किया मामला

12 फरवरी 2022 को गीता देवी मेमोरियल अस्पताल कोरबा में भर्ती एक पहाड़ी कोरवा महिला की मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए मामले में दोषियों के विरुद्ध तत्काल अपराध पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल से प्राप्त निर्देश के पालन में चौकी प्रभारी रामपुर द्वारा गीता देवी मेमोरियल अस्पताल के प्रबंधक एवं अन्य जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध धारा 304-ए,भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

पांच तश्करों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही, दुर्लभ कछुआ, पैंगोलिन छाल व नाखून जब्त

जगदलपुर (आरएनएस)। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की कुछ व्यक्ति वन्यजीवों के अवशेषों को जगदलपुर में बेचने की फिराक में है। जगदलपुर वन विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया।

मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान के लिए टीम रवाना हुई. जगदलपुर में हाता ग्राउंड के नजदीक दो संदिग्ध व्यक्तियों को एक मोटरसाइकिल पर सवार देखा गया जिनके पास एक प्लास्टिक बैग में कुछ भरा हुआ था. उन्हें रोका गया किंतु वे इसका विरोध करने लगे और भागने की फिराक में थे तभी, संयुक्त टीम द्वारा धेराबंदी करके दोनों संदिग्ध को पकड़ लिया गया. पूछताछ करने पर उस

प्लास्टिक बैग से लगभग 12 केजी पैंगोलिन स्केल जप्त किए गए।

इस कार्यवाही में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और कंजर्वेशन कोर सोसायटी की महत्वपूर्ण रही. संयुक्त टीम का नेतृत्व देवेंद्र सिंह वर्मा, रेंजर जगदलपुर द्वारा किया गया।

दोनों व्यक्तियों को आवश्यक कार्यवाही के बाद पूछताछ के लिए जगदलपुर परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया जहां पर उनसे अलग-अलग और भी सूचनाएं प्राप्त हुई उन सूचनाओं पर ध्यान देते हुए टीम ने 11 फरवरी और 12 फरवरी को लगातार 4 छापेमारी की जिसमें दूसरी छापेमारी में लगभग 6.9 केजी पेंगलीन स्केल और तीसरी छापेमारी में 6 तेंदुए के नाखून तीनों जगदलपुर में और चौथी कार्यवाही दंतेवाड़ा में 4 स्टार कटुए, कुल मिलाकर लगभग 19 केजी पैगोलिन स्केल 6 तेंदुए के नाखून जोकि वन्यजीव अनुसूची प्रथम में आते हैं, 4 स्टार ए चीयी अनुसूची में आते हैं, एक बोलेरो, दो मोटरसाइकिल जप्त किए गए. कुल मिलाकर 5 अपराधी गिरफ्तार किए गए और आगे की कार्यवाही हेतु जगदलपुर परीक्षेत्र कार्यालय लाए गए, अभी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।

इस कार्रवाई में संयुक्त टीम में डब्लू सी सी बी टीम जबलपुर, वन विभाग से निर्मल देवांगन, अभिषेक श्रीवास्तव, अमित कुमार झा, ललन तिवारी, गोपाल नाग, कमल, उमरदेव कोरोम पुलिस विभाग से उप निरीक्षक पीयूष बघेल चौवा दास गेंदले, गायत्री प्रसाद तारम, युवराज सिंह ठाकुर शामिल थे।

सरकारी अस्पताल के बदले निजी अस्पताल में इलाज करवाने का झांसा देने वाले की शिकायत के लिए फोन नंबर जारी

कोरबा(आरएनएस)। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने निजी अस्पताल में पहाड़ी कोरवा महिला की मौत को गंभीरता से लेते हुए रिफर करवाने वाले लोगों की शिकायत के लिए फोन नंबर जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसी तारतम्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में झांसा देकर मरीज रिफर करवाने वाले लोगो की शिकायत के लिए फोन नंबर जारी कर दिया गया हैं। नागरिक ऐसे लोगों की सूचना डॉ राकेश अग्रवाल के मोबाइल नंबर 9788514400, डॉ रविकांत जाटवर के मोबाइल नंबर 7583828824 और डॉ गोपाल कंवर के मोबाइल नंबर 9827195979 पर दे सकते हैं। सीएमएचओ डॉ बी बी बोडे ने बताया कि नागरिकगण सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का झांसा देने वाले लोगों के खिलाफ इन नंबरों पर शिकायत कर सकेंगे। शिकायत सही पाए जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा जिले वासियों के स्वास्थ्य जांच और इलाज के लिए जिला अस्पताल सहित जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

मोबाइल टॉवर लगाने के नाम पर महिला से 2 लाख 58 हजार रुपये की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। मोबाइल टॉवर लगाने का झांसा देकर महिला से 2 लाख 58 हजार से अधिक रुपये का ठगी कर लेने की रिपोर्ट टिकरापारा थाने में दर्ज कराई गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक चौरसिया कालोनी मठपुरैना टिकरापारा निवासी श्रीमती अंजू सिंह 41 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि प्रार्थिया एक अखबार में जीओ का टॉवर लगाने का विज्ञापन देखा जिसके बाद अपनी खाली जगह में टॉवर लगाने के लिए अखबार में दिये नंबर पर संपर्क किया। कॉल उठाने वाले व्यक्ति ने स्वयं का नाम विनय शर्मा बताया तथा टॉवर लगाने के लिए महिला से एग्रीमेंट फ ीस, एनओसी फीस, गवर्मेंट टेक्स, करेंट एकाउंट ओपन, एप्रुवल, इंश्योरेंस, ट्रक आदि के लिये 2,58,100 रूपये इंडियन बैंक शाखा बलांगीर उडिसा के खाते में जमा करने को कहा। जिससे वह उसकी बातों में आकर आरोपी द्वारा दिए एकाउन्ट नंबर 621712026 जो सत्य राम पटेल के नाम पर है उसमें रुपये ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद कई दिन बीत जाने के बाद भी कंपनी का कोई भी गाड़ी नही आया। इससे उसे संदेह हुआ और उसने उसी नंबर पर फिर से कॉल किया तब आरोपी ने पीड़िता से जीएसटी के नाम पर और रुपये की मांग करने लगा। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में जुटी है।

धान खरीदी में लाखों का फर्जीवाड़ा, कंप्यूटर आपरेटर सहित चार आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। कृषि साख सहकारी समिति के कंप्यूटर आपरेटर सहित उसके तीन साथियों को धान खरीदी में लाखों के फर्जीवाड़े के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि तीनों ने मिलकर पांच लाख की राशि हड़प ली।

तिल्दा नेवरा थाना पुलिस ने कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित भिंभौरी के प्रबंधक तेज राम वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। समिति मर्यादित भिंभौरी में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर काम करते हुए टेकराम साहू ने

वर्ष 2021-22 में अपने तीन अन्य सहयोगी साथियों तुकाराम साहू, वीरेंद्र कुमार धीवर, हेम कुमार धीवर के साथ मिलकर धान खरीदी कार्य में फर्जी नाम पर छलकपट पूर्वक धान विक्रय किया।

मिली जानकारी के अनुसार टेकराम साहू ने साथियों के साथ मिलकर फर्जी नाम पर कूटरचना एवं छलकपट पूर्वक धान विक्रय किया। इसमें तीन पृथक कृषक का रकबा नाम, बिना उन कृषकों का सहमति के जोडक़र रकबा बढाया गया है। वहीं, किसानों का बैंक खाता ना देकर पैसा, अपने सहयोगी वीरेंद्र कुमार धीवर के खाता में दर्ज कराया गया। धान आवक टोकन संजय कुमार नायक के नाम पर काटकर धान विक्रय किया गया है। वीरेंद्र के खाते में दो लाख 83 हजार 500 रुपये डाल दिए गए। इस प्रकार समिति के आपरेटर द्वारा कूटरचना कर नारायण के नाम पर फर्जी धान विक्रय कर शासन को तीन लाख 31 हजार 904 रुपये की निकाल लिए गए। वहीं हेमकुमार के नाम पर राजस्व अभिलेखों में कृषक को 8.40 क्विंटल धान विक्रय करना था लेकिन एक बार 29.60 क्विंटल, 54.40 क्विंटल धान विक्रय किया गया है। एक लाख 62 हजार 960 रुपये दूसरे निकाल लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

दुकान किराया बकायादारों पर निगम की कार्यवाही जारी

0 दुकान किराया बकाये पर अब तक 59 दुकानों में लगाया गया ताला, 54 लाख रुपये की बकाया किराया राशि की वसूली)

कोरबा (आरएनएस)। दुकान किराये की बकाया राशि संबंधित दुकानदारों द्वारा निगम कोष में जमा न करने के परिणाम स्वरूप नगर पालिक निगम केारबा द्वारा पुन: 07 दुकानों पर ताला लगाया गया, वहीं अब तक 59 दुकानों पर ताला निगम द्वारा लगाया जा चुका है। इसी प्रकार दुकान किराये की बकाया राशि के रूप में 54 लाख रूपये की वसूली भी दुकानों में पहुंचकर निगम के राजस्व अमले के द्वारा की जा चुकी है। जिन दुकानों पर ताला लगाया गया है, उनसे संबंधित दुकानदारों को राजस्व अमले ने कड़ी हिदायत भी दी कि वे बकाया राशि जमा कराएं तभी उनके दुकानों का ताला खोला जाएगा।

यहाँ उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में निर्मित दुकानों, भवनों आदि को लीज किराये पर आबंटित किया गया है। इन दुकान संचालकों द्वारा बरसों से किराये की राशि निगम कोष में जमा नहीं कराई जा रही थी, निगम द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा बकाया राशि की अदायगी नहीं की गई तथा एक बड़ी राशि दुकान किराये के रूप में निगम को प्राप्त करनी शेष थी। आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय के निर्देश पर निगम के राजस्व अमले द्वारा दुकान किराये के बकायादारों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, इन बकायादारों पर कार्यवाही करते हुए पुन: 07 दुकानों पर ताला लगाया गया, जिनमें रविशंकरनगर स्थित निगम द्वारा निर्मित दुकान क्र. 01, 32, 39 तथा महाराणा प्रतापनगर स्थित दुकान क्र. 32, 37, 46, 49 आदि दुकानों में ताला बंदी की गई।

वहीं अब तक निगम द्वारा 59 दुकानों में ताला लगाया जा चुका है, इसके साथ ही दुकान किराये की बकाया राशि के रूप में 54 लाख रूपये की वसूली भी की गई है। बकाया राशि जमा करें, असुविधा से बचें - आयुक्त प्रभाकर पाण्डेय ने निगम के करदाताओं एवं दुकान भवन किराया के बकायादारों से कहा है कि वे बकाया कर एवं निगम को देय भवन, दुकान किराया की राशि समय पर निगम कोष जमा कराएं।

पुलिस और प्रशासन की टीम ने ने किया मॉक ड्रिल

राजनांदगांव (आरएनएस)। उग्र भीड़ को नियंत्रित कर लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थित निर्मित होने पर, समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा, राजनांदगांव शहर के रक्षित केंद्र में पूर्व अभ्यास किया गया।

अपनी मांगों को लेकर जन समूह के द्वारा आंदोलन के दौरान कई बार अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ता है, ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनी तैयारियों को परखने के लिए राजनांदगांव शहर के रक्षित केंद्र में पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान पुलिस के ही लोगों की एक टुकड़ी आम जनता के रूप में बनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर इस अनियंत्रित भीड़ को रोकने पुलिस भी दल बल के साथ मौजूद रही। आंदोलनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढऩा चाह रहे थे, तभी पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का उपयोग कर भीड़ को आगे बढऩे से रोकने का प्रयास किया गया, वही अश्रु गैस छोडक़र भीड़ को खदेडऩे सहित लाठीचार्ज की स्थिति निर्मित

होने पर लाठी चार्ज करने के तरीके और घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने पूर्वाभ्यास किया गया। इस पूर्वाभ्यास को लेकर राजनांदगांव एडिशनल कलेक्टर सीएल मारकंडे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने कहा कि कई बार अभिमंत्रित भीड़ को नियंत्रित करते हुए कुछ खामियां समझ आती है, इन खामियों को दूर करने के लिए पूर्व अभ्यास किया गया है।

रक्षित आरक्षी केंद्र में किए गए इस पूर्व अभ्यास के दौरान अनियंत्रित भीड़ पर कब वाटर कैनन का प्रयोग करना है और किस स्थिति में अश्रु गैस व लाठीचार्ज किया जाना है, इसके बारे में पुलिसकर्मियों को बारीकी से समझाया गया। वहीं लाठीचार्ज का आदेश मिलने के बाद लाठी चार्ज करने के तरीके और भगदड़ की स्थिति निर्मित होने पर घायल व्यक्तियों को त्वरित उपचार मुहैया कराने सहित अपनी सभी तैयारियां पुख्ता किए जाने को लेकर सीख दी गई। इस पूर्वाभ्यास के दौरान जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और परिस्थितियों पर गौर करते हुए पुलिस जवानों व थाना प्रभारियों को कई निर्देश भी दिए ताकि कभी इस तरह की अप्रिय घटना होने की स्थिति में भीड़ को आसानी से नियंत्रित किया जा सके और लोगों के जानमाल की सुरक्षा भी हो।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक उत्थान अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाय में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं सम्मान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU